परमिट सं0– 370 /मानचित्र!जि0पंचा0/2014–15

कार्यालय जिला पंचायत,
बाराबंकी।
दिनांकः– 17/6/15

श्री विजय प्रताप सिंह,
श्री दीपक श्रीवास्तव,
श्री सुन्दर वाल्मीकि
डायरेक्टर,प्रताप कान्सट्रक्शन एण्ड कालोनाइजर्स,
कार्यालय–ए–1511,इन्दिरा नगर,
जिला– लखनऊ

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खतौनी में प्रदर्शित भूमि गाटा सं0–568, 586मि0 ,584, 582क, 589, 610क ,578क0मि0व 587 स्थित ग्राम गौरिया परगना देंवा,तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी पर प्रस्तावित व्यवसायिक प्लाटिंग ले आउट प्लान हेतु कवर्ड एरिया 13919.50 वर्गमीटर तक के मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिनांक 26–05–2015 को प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति दिनांक 26–05–2015 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत,बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 21 मई 2011 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबन्धों सहित स्वीकार किया जाता हैः–

1– राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित ले आउट प्लान की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारें से 10 मीटर होना आवश्यक है।

व्यवसायिक प्लाटिंग में

2– आवासीय भवन में किसी शौचालय को गली की ओर नहीं खुला रखा जायेगा।

3– शौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिये जिसके लिये सेप्टिक टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

4– भवन की कुर्सी भवन के निकट गली,सडक, आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30सेमी0 रखी जायें, दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

5– ले आउट प्लान/प्लाटिंग कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत परमिट के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पुनर्विचार कर निर्माण की अवधि बढायी जा सकती है किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6– उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।

7– किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिला पंचायत इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय,बाराबंकी होगा।

8– स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।

9– प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही व्यवसायिक प्लाटिंग निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

10– स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग,नाली,तालाब,मरघट,चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि,लोक निर्माण विभाग,सिंचाई विभाग,विद्युत विभाग,अग्निशमन विभाग,वन विभाग,रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाये

~~अपर~~ मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बाराबंकी।
6/5/15